

**न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी**  
**पीठासीन अधिकारी- सुदर्शन सिंह तोमर**

क0सं0	प्रा0पत्रसं0	GCMS NO.	दर्ज दिनांक	उनवान	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	24/22	2022/131	08.12.2022	सरकार बनाम शरद कुमार गर्ग	07.04.2026	1 लगायत 4

पीठासीन अधिकारी :- सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 24/2022 (2022/131)

**उनवान प्रकरण**

1. वीरेन्द्र कुमार सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर ।  
- आवेदक

**बनाम**

1. श्री शरद कुमार गर्ग पुत्र श्री रमेशचन्द्र गर्ग (विक्रेता) मैसर्स गर्ग मिल्क एण्ड फूड प्रोडक्ट्स, कचहरी रोड, गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर निवासी 1086, वजीरपुर सवाई माधोपुर 322219 ।  
2. श्रीमति विजय गर्ग पत्नी श्री कैशव कुमार गर्ग (प्रोपराईटर) मैसर्स गर्ग मिल्क एवं फूड प्रोडक्ट्स, कचहरी रोड, गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर । -  
अभियुक्त

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii)/51, 54 एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

**निर्णय**

दिनांक: 07.04.2026

प्रकरण में तथ्या इस प्रकार है कि यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 22.06.2022 को दोपहर 01.30 पी.एम पर मैसर्स गर्ग मिल्क एवं फूड प्रोडक्ट्स, कचहरी रोड, गंगापुरसिटी जिला सवाई माधोपुरपर पहुंचा एवं संस्थान का निरीक्षण किया। संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया गया कि आम जनता को विक्रय हेतु एक लोहे के ड्रम में लगभग 20 किलो मावा रखा था। मावा में गुणवत्ता में कमी का अनदेशा होने पर वास्ते नमूना जाँच लोहे के ड्रम में रखे मावा में से 1 किलो मावा खरीदकर उसकी कीमत 300/- रुपये विक्रेता श्री शरद कुमार गर्ग को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता श्री शरद कुमार गर्ग के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान राम हरी गुप्ता एवं शैतान सिंह पुलिस निरीक्षण के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 1 किलो मावा को विक्रेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सूखी प्लास्टिक की बोतले दिखाकर उक्त खरीदशुदा मावा को प्रत्येक बोतल में बराबर-बराबर डाला एवं प्रत्येक बोतल में परीरक्षक फार्मलीन की 20-20 बूंदें डालकर बोतलो को ढक्कन लगाकर ऐयस्टाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं क्रमांक एच-2340 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग-2 खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. एच -2340 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारो नमूना भागो पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगपुर सिटी  
मु०न० 24/22 (2022/131) सरकार बनाम शरद व अन्य

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियाँ एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री शरद कुमार गर्ग (विक्रेता) ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5ए की एक प्रति श्री शरद कुमार गर्ग (विक्रेता) को देकर रसीद प्राप्त की। फार्म सं. 5ए एवं फर्द रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. छ: की सात प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फॉर्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को श्री बुद्धि प्रकाश मीणा सहायक कर्मचारी द्वारा जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2022/1165 दिनांक 15.07.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक, राज, जयपुर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट सं. एलएस/2210/एक्ट/2022/2217 दिनांक 06.07.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ मावा सबस्टेण्डर्ड प्रकृति का होना पाया गया है। जाँच रिपोर्ट एवं पत्र न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

अभियुक्तगण द्वारा सबस्टेण्डर्ड मावा का विक्रय/निर्माण करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त मय अधिवक्ता उपस्थित होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी पक्ष ने दौराने बहस निवेदन किया कि अभियुक्तगण द्वारा सबस्टेण्डर्ड मावा का विक्रय/निर्माण करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी जबाबदार एक छोटा दुकानदार है जिसके पास खाद्य पदार्थ विक्रय का लाईसेन्स है। उक्त प्रकरण में सेम्पलिंग की कार्यवाही श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह द्वारा की गई है जो कि सेम्पलिंग की कार्यवाही करने के लिये सक्षम व्यक्ति नहीं है। उक्त श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह द्वारा नियमों की अवहेलना की गयी है और गलत तरीके से खाली कागजों पर अभियुक्त के हस्ताक्षरों का दुरुपयोग करते हुये एक कागज को केश मीमों का रूप दे दिया है। इस तरह भी उक्त कार्यवाही नियमानुसार नहीं होने व सक्षम व्यक्ति द्वारा नहीं होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है, साथ ही अभियुक्त के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुए प्रकरण की कार्यवाही ड्रॉप फरमाने हेतु निवेदन किया है।

हमने उभयपक्षों की बहस का मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। मुख्य खाद्य विश्लेषक, राज, जयपुर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट सं. एलएस/2210/एक्ट/2022/2217 दिनांक 06.07.2022 निम्नानुसार है:-

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापूर सिटी  
मुं० 24/22 (2022/131) सरकार बनाम शरद व अन्य

Government of Rajasthan  
**STATE CENTRAL PUBLIC HEALTH LABORATORY**  
JAIPUR, (RAJASTHAN), Mandir Marg Sethi Colony, Jaipur-302004  
**FORM-B**  
Test Report of the Food Analyst  
[Refer Regulation (2) of 2.3.1]



Report No. L.S./2210/ Act / 2022 / 2217

Date: 06-07-2022

Certified that I Karan Singh Tanwar, Food Analyst duly appointed under the provisions of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) for Rajasthan state received from Sh. Virenderr Kumar Singh, Food Safety Officer O/O Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur a sample of "Mawa" bearing Code number and Serial number H-2340 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur area on 23-06-2022 for analysis.

The condition of seals on the container and the outer covering on receipt was as follows:  
The seals were intact and unbroken. The seals tallied with the specimen impression of the seal sent separately by the Food Safety Officer in sealed envelop by hand.

I found the sample to be "Dairy Products and Analogues (Mawa/Khoysa)" falling under Regulation No. 2.1.6 of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations, 2011. The sample was in a condition fit for analysis and has been analysed on 04-07-2022 to 06-07-2022 and the result of its analysis is given below.

**Analysis Report:**

- (1) Sample description : - Sample is in a sealed and intact plastic bottle.  
(2) Physical appearance : - Creamish coloured soft solid material.  
(3) Label : - Loose sample.

Sl. No	Quality Characteristics.	Name of the Method of the test used.	Results.	Prescribed standards as per (a) Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations, 2011. (b) As per label declaration for Proprietary food. (c) As per provisions of the Act, Rules and Regulations for both the above.
1.	Milk fat content of the finished product (on dry weight basis).	FSSAI Manuals of method of analysis of food.	23.09 %	Not less than 30.0%.
2.	Total Solid m/m	---do---	66.88 %	Minimum 55.0%
3.	Total ash m/m	---do---	3.09%	Maximum 6.0%
4.	Titratable acidity (as % lactic acid)	---do---	0.33%	Maximum 0.9%
5.	B.R. Reading of extracted fat at 40.0°C.	---do---	42.4	40.0 to 43.0
6.	Test for added Starch.	---do---	Negative	Negative.
7.	Test for added Sugar.	---do---	Positive	Negative.
8.	Test for Neutralizer	---do---	Negative	Negative.
9.	Test for added Urea.	---do---	Negative	Negative.
10.	Added colouring matter.	---do---	Absent	Absent.

**Opinion-** The sample of "Mawa" bearing Code No. and Sr. No. H-2340 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur is Sub-standard as it does not conform to the prescribed standards of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011.

Signed this 06<sup>th</sup> day of July 2022

ADDRESS: DESIGNATED OFFICER CUM  
Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur

Copy to, COMMISSIONER OF FOOD SAFETY  
Commissionerate of Food Safety and Drug Control,  
A-Block, Swasthya Bhawan, Jaipur, Rajasthan.

Food Analyst  
(Authorized Signatory)  
(Karan Singh Tanwar)  
Food Analyst, Rajasthan  
Central Public Health Laboratory  
Rajasthan, Jaipur

अभियुक्त अभियुक्त (साला सुरसा) एव  
मुख्य अधिकारी एवं सहा. अधिकारी  
सवाई माधोपुर

उक्त रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त द्वारा विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ रिफाइनड सोयाबीन तेल (लूज) सबस्टेण्डर्ड प्रकृति का तदपि गुणावगुण पर सुनवाई उपरान्त सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाकर प्रकरण इस प्रकार निर्णित किया जाना उचित समझते है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर  
गंगापूर सिटी

अतः अभियुक्त को खाद्य पदार्थ मावा सबस्टेण्डर्ड प्रकृति का विक्रय करने के कारण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत जुर्माना राशि 10,000 रुपये (अक्षरे-दस हजार रुपये), के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। उक्त दण्ड की राशि अप्रार्थी आदेश तामील दिनांक से एक माह की अवधि में जरिये चालान 0210-04-800-03-00-25% STATE SHARE WHICH RECEIVED AGAINST LICENCE FEE में जरिये चालान जमा करवाकर रसीद पेश करें। पत्रावली को इसी स्तर पर निस्तारण किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि अदम अनुपालना आदेश अभियुक्त सं० 1 के प्रतिष्ठान का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द की जावे तथा साथ ही आयुक्त नगर परिषद् गंगापुर सिटी द्वारा एक माह उपरान्त प्रतिष्ठान सील किये जाने की कार्यवाही की जावे तथा आदेश की तामील तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा करवाई जाकर पालना प्रति न्यायालय में भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक 07.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर, RAS)  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
गंगापुर सिटी